

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
अपर मुख्य सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
- 2.समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग - 1

देहरादून, दिनांक 01 अक्टूबर 2015

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।**

महोदय,

वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की मांगें स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2015 पारित होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा को तभी निर्गत किया जायेगा जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/xxvii(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाये। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम वित्त अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारी को किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3. वचनबद्ध मदों, यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान, आदि मदों की धनराशि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर

किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी। इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं की जायेगी और न ही वित्त विभाग द्वारा कोई नम्बर अंकित किया जायेगा।

4. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों (मद संख्या-20 एवं 42 तथा प्रस्तर-5 में इंगित प्राविधान को छोड़कर) की आय-व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि भी सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु उदाहरणार्थ फर्नीचर, साज-सज्जा, उपकरण कय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल आदि विभिन्न मदों में आसानी से बचत की योजना बनायी एवं क्रियान्वित की जा सकती है; जैसे कच्चे कार्य हेतु एक ओर उपयोग किये जा चुके कागज का प्रयोग किया जाना, आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त मात्रा में पूर्व से फर्नीचर होते हुये बार-बार फर्नीचर कय से बचना, विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग रोकना, लम्बी यात्राओं हेतु सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग करना, गाड़ी का अनावश्यक प्रयोग रोकना आदि कदम आसानी से उठाये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं की जायेगी और न ही वित्त विभाग द्वारा कोई नम्बर अंकित किया जायेगा।

5. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में, विशेषकर अवचनबद्ध मदों में, विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं/अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में धनाबटन हेतु सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग के माध्यम से वित्त विभाग की पूर्व सहमति अवश्य ली जायेगी। कतिपय प्रकरण जिनमें पहली बार व्यय किया जा रहा हो उनके सम्बन्ध में भी धनाबटन वित्त विभाग की सहमति से ही निर्गत किया जायेगा।



मानक मद 20— सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता तथा मानक मद-42— अन्य व्यय (जिला योजना, वाह्य सहायतित योजनाओं, केन्द्रपोषित योजनाओं एवं स्थानीय निकायों को समनुदेशन को छोड़कर) अन्तर्गत धनावंटन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।

6. सभी प्रकार के नये कार्यो चाहे वह किसी मानक मद में हो, हेतु धनावंटन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

7. योजनागत पक्ष में चालू योजनाओं एवं चालू निर्माण कार्यो के लिये (आयोजनेत्तर पक्ष में निर्माण कार्यो सहित) आय-व्ययक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत कर दी जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किशतों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी। ऐसे मामलों में यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना/निर्माण कार्यो की अनुमोदित कुल लागत की सीमा के अधीन ही धनराशि निर्गत की जाय तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति अनुसार क्रियान्वयन की प्रगति सन्तोषजनक है एवं भारत सरकार/वाह्य सहायतित योजनाओं/एस0पी0ए0 अन्तर्गत सम्मिलित कार्यो के मामलों में यथास्थिति भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो गई है अथवा धनराशि अवमुक्त करने हेतु सहमति/अनुमोदन दे दिया गया है। जिन प्रकरणों में वित्तीय वर्ष 2013-14 अथवा पूर्व वर्षों में नई मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था हुई हो परन्तु किन्ही कारणोंवश योजना/कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों हेतु आय-व्ययक से स्वीकृत कोई भी धनावंटन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही निर्गत किया जायेगा। चालू निर्माण कार्यो हेतु धनराशि छोटी-छोटी किशतों के बजाय कार्य की अवशेष धनराशि के सापेक्ष पर्याप्त धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 में वर्णित समय सारिणी के आधार पर किया जाय।

इस सम्बन्ध में बहुधा यह देखा गया है कि नये निर्माण कार्यो की स्वीकृति के समय लागत एवं समय वृद्धि (Cost and Time Over run) से बचने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(vi) (2) एवं (3) [पुराना प्रस्तर-211(d) (4) एवं (5)] की अनुपालना नहीं की जाती है जिसके कारण वार्षिक बजट व्यवस्था के सापेक्ष बड़ी मात्रा में कार्य निर्माणाधीन रहते हैं, क्योंकि प्रारम्भ में कार्य विशेष हेतु न्यून अथवा प्रतीक (Token) धनराशि आधार पर कार्य की स्वीकृति दे दी जाती है और तदोपरान्त अगली किशतों में भी अति न्यून धनराशि अवमुक्त की जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य लम्बे समय तक निर्माणाधीन रहते हैं और उपयोग में नही लाये जा पाते तथा उनमें लागत वृद्धि की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः पूर्व स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य का नियमित एवं सघन अनुश्रवण व समीक्षा की जाय और जो कार्य किन्हीं कारणोंवश प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यो के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर नये सिरे से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र-1, 2 एवं 3 पर भवनों के निर्माण से

सम्बन्धित संकलित सूचना भी वित्त अनुभाग-1 एवं सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को दिनांक 30 अप्रैल, 2015 तक उपलब्ध करा दी जाय एवं साथ ही नये निर्माण कार्यो की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी इन सूचनाओं को बी0एम0-80 अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति व उच्च अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत किया जाय।

योजनागत पक्ष में किसी योजना के लिये धनावंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित मूल अथवा पुनरीक्षित अनुमोदित योजना में वर्णित योजना अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में योजना की नियमित (Regular) व आवधिक (Periodical) समीक्षा एवं यथा आवश्यकता स्वतंत्र मूल्यांकन आधार पर योजना हेतु वित्त पोषण/धनावंटन पर सुविचारित निर्णय किया जाय। ऐसी योजनाओं जिनके सम्बन्ध में योजना उद्देश्य, अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्य, आउटपुट व आउटकम तथा प्रभाव स्पष्ट परिभाषित/निर्धारित न हों उन पर धनराशि व्यय करने के स्थान पर पहले समस्या का स्पष्ट चिन्हीकरण करते हुये यथोचित योजना का प्रारूप, उसके सम्बन्ध में सुस्पष्ट अवधि, उद्देश्य, वित्तीय/भौतिक लक्ष्य, आउटपुट व आउटकम एवं प्रभाव निर्धारित करते हुये नियोजन एवं वित्त विभाग की पूर्व सहमति उपरान्त सक्षम स्तर से योजना को अनुमोदित करा लिया जाय। योजनाओं के सम्बन्ध में इन बिन्दुओं के आधार पर नियमित अनुश्रवण/समीक्षा करते हुये ही योजना संचालित की जाय। जो योजनायें निरर्थक अथवा अनुपयोगी हो गई हैं अथवा जिनकी अवधि/उद्देश्य पूर्ति हो चुकी है उन्हें तत्काल समाप्त कर परिव्यय का उपयोग सार्थक व स्पष्ट उद्देश्य परक योजनाओं के लिए किया जाय।

8. वित्तीय वर्ष 2015-16 से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष आयोजनागत सहायता (SPA) की सुविधा बन्द हो गई है। ऐसे प्रकरणों जिनमें गत वर्ष तक भारत सरकार से SPA के अधीन योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त हो गया है, पर ही बजट प्राविधान के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु धनावंटन/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाएगी और ऐसे प्रत्येक प्रकरण में नियोजन और वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

9. निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लिया जायेगा कि प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश संख्या-475/xxviii(1) /2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 किया गया है। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारिणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।



बहुधा यह देखा गया है कि नये कार्यों की स्वीकृति वर्षभर दी जाती रहती है जिससे क्रियान्वयन/निर्माण हेतु समयाभाव हो जाता है, अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की स्वीकृति अप्रैल माह में ही निर्गत कर दी जाय तथा चालू कार्यों हेतु भी एम0ओ0यू0 आधार पर वांछित धनावंटन भी अप्रैल माह में ही कर दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में (माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2016 में) स्वीकृतियों के प्रस्ताव **Rush of Expenditure** के रूप में प्रस्तुत न की जायें और न ऐसा करने की परिस्थितियां उत्पन्न होने दी जाय। वर्ष के अन्तिम त्रैमास में **Rush of Expenditure** के रूप में स्वीकृतियां किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

10. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय। निर्माण कार्यों पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाय। ऐसे निर्माण कार्य जहाँ अपरिहार्य कारणों से अनुमोदित आगणन व लागत के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है, उन मामलों में आगणन पुनरीक्षण की प्रत्याशा में अधिक कार्य न कराया जाय। ऐसे प्रकरणों में आगणन पुनरीक्षण केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कराया जाय एवं ऐसा पुनरीक्षण बिना वित्त विभाग की पूर्व सहमति/अनुमति के नहीं किया जाय। आगणन पुनरीक्षण की कार्यवाही में यथासम्भव निर्माण कार्य के **Foreclosure** की व्यवस्था की जाय अर्थात् स्वीकृत आगणन में इंगित कार्य के केवल निर्माणाधीन खण्ड/भाग को पूर्ण करने की ही व्यवस्था की जाय और कार्य के अवशेष खण्ड/भाग जिनका निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है उसे पुनरीक्षण आगणन में सम्मिलित नहीं किया जाय और आवश्यकता होने पर उसके लिये प्रथम/नया आगणन बना कर नये सिरे से नये कार्य के रूप में स्वीकृति की कार्यवाही वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करते हुये की जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि आगणनों का टी0ए0सी0 परीक्षण एवं तदक्रम में वित्त विभाग की सहमति केवल शेड्यूल दरों की दृष्टि से आगणन की गणना के परीक्षण की मात्र पुष्टि है, अतः आगणन की तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति तथा आगणन में ली गई मात्राओं, विशिष्टियों, डिजाइन आदि के लिये सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था ही जिम्मेदार हैं। निर्माण कार्यों सहित योजनाओं/कार्यों के स्पष्ट लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर उन लक्ष्यों के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित एवं सघन समीक्षा/ अनुश्रवण किया जाय। जिन विभागों में, यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन आदि में साख सीमा की व्यवस्था है, वहाँ आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत बजट के सापेक्ष साख सीमा कार्य की प्रगति/वास्तविक आवश्यकता, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित की जाय।

11. वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में जिला योजना हेतु अनुदानवार एवं योजना/लेखाशीर्षकवार बजट प्राविधान के स्थान पर अनुदान संख्या-7, 30 तथा 31 के अन्तर्गत जनपदवार एकमुश्त बजट प्राविधान मानक मद-42 अन्तर्गत किया गया है। यह व्यवस्था जिला योजनान्तर्गत परिव्यय के सापेक्ष जनपदों में जिला नियोजन समितियों के द्वारा विभागवार निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिये एक पहल एवं प्रयोग के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत जनपदवार बजट प्राविधान/वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार एकमुश्त आधार पर जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से निर्गत दिशा-निर्देशों तथा लेखा-जोखा/रिकार्ड रखने हेतु निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा विभागवार/कार्यवार परिव्यय के सापेक्ष पूर्ववत् विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी एवं तदानुसार पृथक एवं सुस्पष्ट लेखा-जोखा रखा जायेगा, यद्यपि कोषागार से धनराशि का आहरण बजट साहित्य में इंगित लेखाशीर्षक/मानक मद अन्तर्गत ही किया जायेगा।

जिला योजनान्तर्गत जहां कही वेतन व तत्सम्बन्धी मानक मदों में अर्थात् वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ता मदों में अब तक धनराशि स्वीकृत एवं उपयोग की जा रही थी उन मामलों में राजकीय कार्मिकों का वेतन विभागीय राज्य सेक्टर योजना अथवा आयोजनेत्तर पक्ष से धनराशि स्वीकृत व आहरित की जायेगी। राजकीय विभागों के वेतन सम्बन्धी व्यय का तदानुसार आहरण व उपभोग जिला योजनान्तर्गत नहीं किया जायेगा।

12. वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में आपदा, 2013 के सापेक्ष स्वीकृत आपदा पैकेज अन्तर्गत एस0पी0ए0 एवं वाह्य सहायतित योजना शीर्षको में अनुदान संख्या-6 में व्यवस्था की गई है। इस बजट प्राविधान के सापेक्ष योजनाओं/कार्यों की स्वीकृतियां एवं धनराशि अवमुक्त करने हेतु तत्सम्बन्धित पृथक व्यवस्था अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

13. वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में कुछ ऐसी योजनायें अथवा कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिनका व्यय भारत सरकार अथवा अन्य संस्थाओं से पूर्णतया अथवा आंशिक आधार पर पोषित किया जाता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन तथा धनाबंटन की स्वीकृति उसी दशा में दी जाय जब भारत सरकार अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन हेतु किश्त आवंटित कर दी गई हो अथवा कार्यान्वयन और धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग को अभिलेखों से यह भी पुष्टि करेंगे कि राज्य के समेकित निधि में धनराशि स्थानान्तरित कर दी गई है/प्राप्त हो गई है। यह विभागीय सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि



जारी किये गये राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश अथवा वाह्य सहायता/अन्य संस्था से अंश समय से प्राप्त हो जाय।

यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रपोषित/केन्द्रपुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं में परिव्यय व बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रगति न्यून रहती है और राज्य इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है, अतः यह प्रशासकीय विभागों के सचिवों का उत्तरदायित्व होगा कि सभी योजनाओं हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य का पूर्ण उपयोग समय से किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकरण में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई हो और किसी अपरिहार्य परिस्थिति में धनाबंटन आवश्यक हो तो प्रकरण विशेष में केन्द्रपोषित/वाह्य सहायतित एवं संसाधन सम्बद्ध (Resource link) योजनाओं/कार्यों हेतु धनाबंटन की स्वीकृति वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही निर्गत की जायेगी। केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित चालू योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त हो जाने की दशा में प्रशासकीय विभाग अवमुक्त केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि योजना की लागत एवं अनुमन्य केन्द्रांश/राज्यांश की सीमान्तर्गत स्वयं अपने स्तर पर आवंटित कर सकते हैं।

14. बहुधा यह अवलोकित किया गया है कि केन्द्रपोषित/वाह्य सहायतित/संसाधन सम्बद्ध विभिन्न योजनाओं/कार्यों तथा विभागों द्वारा अन्य राज्यों/संस्थाओं को दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति लम्बी अवधि तक लंबित रहती है तथा प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित धनराशि के सम्बन्ध में विभागों में न तो सही सूचना होती है और न उनके स्तर पर कोई ठोस प्रयास ऐसी धनराशि को प्राप्त करने के लिये किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति, प्रदेश में विकास की गति को बनाये रखने एवं एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के बाध्यकारी लक्ष्यों के दृष्टिगत यह नितान्त आवश्यक है कि विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित ऐसी धनराशियों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय तथा अग्रेत्तर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली ऐसी धनराशियों को उसी वित्तीय वर्ष में एवं वित्तीय वर्ष के अन्तिम अवधि से सम्बन्धित धनराशि अगले त्रैमास में ही अवश्य प्राप्त करा ली जाय। विगत वर्षों की लम्बित प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को समय से प्राप्त करना सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इस सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये भारत सरकार को अथवा सम्बन्धित संस्था को समय से प्रतिपूर्ति के देयक यथावांछित प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुत किये जायें, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो। विभिन्न योजनाओं/मदों की वर्षवार व्यय धनराशि, प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य राशि, प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्राप्त धनराशि एवं प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित राशि के प्रमाणित विवरण तैयार कर प्रत्येक त्रैमास हेतु सम्बन्धित त्रैमास की समाप्ति पर अगले पन्द्रह दिन में बजट निदेशालय तथा वित्त अनुभाग-1 को प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 तक वर्षवार प्रपत्र-4, 5 एवं 6 पर संकलित सूचनायें भी वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक उपलब्ध करा दी जायें।

ऊर्जा विभाग आदि कतिपय विभागों के अन्तर्गत निगमों/संस्थाओं को ऋण भी निर्गत किया जाता रहा है। इन ऋणों के सापेक्ष नियमित आधार पर देय ब्याज व मूलधन की किश्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु सम्बन्धित विभागीय सचिव उत्तरदायी होंगे। पूर्व में निर्गत जिन ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज एवं ऋण वापसी हेतु किश्तों की संख्या व किश्तों की धनराशियां निर्धारित न किये गये हों वहाँ तत्काल वित्त विभाग की सहमति से उन्हें निर्धारित कराकर यथोचित आदेश निर्गत किया जाय। पूर्व वर्षों में निर्गत प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में पूर्व से लम्बित व वर्ष 2015-16 में देय ब्याज व मूलधन के विवरण भी प्रत्येक त्रैमास उपरान्त अगले पन्द्रह दिन में ही वित्त अनुभाग-1 एवं बजट निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाय। इसी प्रकार विभिन्न कर एवं करेत्तर राजस्व मदों के अन्तर्गत त्रैमास वार देय, वसूल एवं लम्बित धनराशियों के विवरण भी वित्त अनुभाग-1 एवं बजट निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 की अवधि के सम्बन्ध में वर्षवार देय ऋण व ब्याज तथा उनके सापेक्ष भुगतान की गई व भुगतान हेतु शेष ऋण व ब्याज (दण्ड ब्याज यदि कोई हो, सहित) प्रपत्र-7 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2015 तक वित्त अनुभाग-1 को उपलब्ध करा दिया जाय।

15. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग की सहमति किसी अनुदान के अधीन दी जाती है, तब पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश पर वित्त विभाग से विशिष्ट पत्र संख्या का अंकन कराकर उसकी प्रति महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को उपलब्ध कराया जाय तथा कोर ट्रेजरी सिस्टम माध्यम से बचतों को समर्पित करते हुए पुनर्विनियोग सुनिश्चित कराया जाय। प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग को पुनर्विनियोग का प्रस्ताव बजट मैनुअल के प्रस्तर-134 (पुराना प्रस्तर-151) के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व पक्ष से पूंजी पक्ष तथा पूंजी पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोग प्रतिबन्धित है। यह अपेक्षा की जाती है कि सामान्यतः आय-व्यय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। पुनर्विनियोग प्रस्तावों के सम्बन्ध में एवं व्यय नियंत्रण की दृष्टि से प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षित है कि लेखाशीर्षक एवं मदवार बजट प्राविधान के सापेक्ष व्यय एवं बचत का त्रैमासिक विवरण वित्त विभाग के सम्बन्धित व्यय-नियंत्रण अनुभाग और बजट निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

16. बहुधा यह देखा गया है कि कई मामलों में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट प्राविधान कराने के उपरान्त उस राशि अथवा उससे भी अधिक धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अन्य मदों अथवा लेखाशीर्षको में व्यावर्तित करायी जाती है, यह स्थिति आपत्तिजनक है। मूल व अनुपूरक मांग के माध्यम से सामान्यतया बजट प्राविधान वास्तविक मांग के अनुसार ही किया जाना चाहिए और पुनर्विनियोग कराये जाने की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और ऐसा



नितान्त अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाना चाहिए, परन्तु कई मामलों में यह देखा गया है कि विभागों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता और पुनर्विनियोग व्यवस्था का उपयोग अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान से अधिक सृजित/प्रस्तावित व्ययभारों को वहन करने अथवा वचनबद्ध /अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत बजट प्राविधान एवं वास्तविक व्ययों को रोकते हुए अन्य अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान से अधिक सृजित किये गये अथवा प्रस्तावित व्ययों को वहन करने के लिए किया जाता है। अतः पुनर्विनियोग का प्रयोग नितान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाय और पुनर्विनियोग की प्रत्याशा में बजट प्राविधान से अधिक किसी भी मद, विशेषकर अवचनबद्ध में व्यय भार सृजित न किया जाय।

17. जैसा कि बजट मैनुअल के प्रस्तर-75 (पुराना प्रस्तर-88) में इंगित किया गया है बजट नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो एवं सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। कोर ट्रेजरी सिस्टम माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर प्राप्त करते हुये व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनायें समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

18. केन्द्रपोषित/केन्द्रपुरोनिधानित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति के लिये ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत बजट प्राविधान/आवंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

19. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20— कई बार यह देखा गया है कि प्र0वि0 राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम की धनराशि की प्रतिपूर्ति के स्थान पर पूर्ण धनराशि व्यय कर देते हैं या समर्पित कर देते हैं, जबकि यह धनराशि सम्बन्धित योजना में शेष रहनी चाहिये व राज्य आकस्मिकता निधि में वापस (प्रतिपूर्ति) की जानी चाहिये।

21. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रस्तर-4 एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग के माध्यम से मा0मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महोलखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0-10 (पुराना बी0एम0-17) प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण-वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

24. प्रत्येक विभाग/अनुभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना सम्बद्ध शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त अनुभाग-1 एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

25. मार्च, 2015 का वेतन जो अप्रैल, 2015 में देय है तथा अप्रैल, 2015 के वेतन, पेंशन/सेवानिवृत्तिक लाभ का आहरण कोषागारों द्वारा बजट 2015-16 में दर्शाये गये सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत बजट आवंटन की प्रत्याशा में आवंटित कर दिया जाय। सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी तत्काल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी से वित्तीय



वर्ष 2015-16 की अवधि हेतु वास्तविक आवश्यकतानुसार बजट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे वेतन आदि सहित विभिन्न वचनबद्ध मदों में समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

26. मा0मुख्यमंत्री की घोषणा आदि हेतु अनुदान संख्या-03 (मंत्रिपरिषद्) के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 2013 एवं लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय में एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के सम्बन्ध सर्वप्रथम सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा यह देखा जाय कि उनके विभाग से सम्बन्धित मा0मुख्यमंत्री की घोषणा अथवा उनके निर्देश/आदेश के क्रम में स्वीकृतियां यथासम्भव विभागीय बजट के अधीन ही निर्गत की जायें और केवल उन्हीं मामलों में उपरोक्त लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत एकमुश्त व्यवस्था से स्वीकृतियां निर्गत की जायेगी, जिनमें विभागीय बजट अन्तर्गत ऐसा करना सम्भव नहीं हो। तदनुसार जिन मामलों की स्वीकृति इन लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत एकमुश्त बजट व्यवस्था से किया जाना हो, उनके सम्बन्ध में स्पष्ट व पुष्ट प्रस्ताव व डी0पी0आर0/आगणन सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय नियमों, प्रक्रिया एवं स्थापित व्यवस्था अनुमान पत्रावली तैयार/पूर्ण कर अपने डी0डी0ओ0 कोड का उल्लेख करते हुये मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आलेख तैयार कर मा0मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) के सचिव/प्रमुख सचिव को प्रस्तुत की जायेगी, जिनके स्तर पर प्रकरण का परीक्षण कर यथास्थिति वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को उनके परामर्श/सहमति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा और तदोपरान्त मा0मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा मा0मुख्यमंत्री के अनुमोदन से स्वीकृतियां निर्गत की जायेंगी। आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, महालेखाकार कार्यालय, निदेशक कोषागार, सम्बन्धित कोषागार, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग तथा वित्त अनुभाग-5 को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

  
(राकेश शर्मा)


अपर मुख्य सचिव

संख्या- 400 (1)/xxvii(1)/2015 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊं।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

  
(एल0 एन0 वन्ता)

अपर सचिव, वित्त



















